



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1943 (श10)
(सं0 पटना 51) पटना, बृहस्पतिवार, 3 फरवरी 2022

सं0 बी01-3-43/2021-376
निर्वाचन विभाग

संकल्प

2 फरवरी 2022

विषय:- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में नवपंजीकृत निर्वाचकों को **FREE OF COST EPIC DELIVERY** हेतु **PVC-EPIC** का मुद्रण एवं निर्माण कार्य पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता-700056 को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/ID/2021-ERS दिनांक-30 जून, 2021 से आयोग के पूर्व पत्रांक-23/ID/2015-ERS/293-327 दिनांक-13/20 जनवरी, 2016 द्वारा केन्द्रीकृत स्थान/इकाई (Centralised Location) अथवा जिला अथवा तालुका स्तर पर **PVC-EPIC** मुद्रित कराने की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रदान की गई है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के उक्त निर्देश के आलोक में **PVC-EPIC** का निर्माण सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी द्वारा **ERONET** के माध्यम से **PDF** डाउनलोड कर **EPIC Printing** की कार्यवाही निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की देख-रेख में सम्पन्न की जाती है। चयनित एजेंसी द्वारा तैयार **PVC-EPIC** को संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय को हस्तगत कराया जाता है, जिसे बी0एल0ओ0 के माध्यम से संबंधित निर्वाचकों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रपत्र-001 के आधार पर प्रतिस्थानी/डुप्लीकेट **EPIC** हेतु ऑनलाईन आवेदन पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् कॉमन सर्विस सेन्टर (**CSC**) द्वारा **PVC-EPIC** निर्धारित दर पर निर्वाचकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न जिलों में **EPIC** निर्माण की गुणवत्ता एवं दरें भिन्न-भिन्न होती है तथा उसमें सुरक्षा मानकों का अभाव रहता है। साथ ही, निर्वाचकों को **EPIC** प्राप्त कराने की कारगर व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में कई राज्यों में डुप्लीकेट **EPIC** निर्माण के दृष्टांत भी सामने आये हैं, जिसके आलोक में आयोग द्वारा नये सुरक्षा मानकों सहित केन्द्रीकृत तरीके से **EPIC** निर्माण एवं निर्वाचकों को निबंधित डाक से उसे प्राप्त कराने का निदेश दिया गया है।

- वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 23/ID/2021-ERS दिनांक-22 जून, 2021 के द्वारा राज्य के सभी निर्वाचकों (नये निर्वाचक प्रतिस्थानी ईपिक एवं अन्य ईपिक) को स्पीड-पोस्ट के माध्यम से ईपिक का शूट प्रतिशत भेजे जाने का निदेश दिया गया है। उक्त निदेश के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 23/ID/2021-ERS दिनांक-13 सितम्बर, 2021

से सभी तरह के ईपिक का वितरण डाक विभाग से स्पीड-पोस्ट के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए डाक विभाग की ओर से मुख्य महाडाकपाल के साथ दिनांक 27.09.2021 को प्रत्येक ईपिक भेजे जाने का एकरारनामा किया गया।

3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कई राज्यों में डुपलीकेट ईपिक निर्माण की घटना को ध्यान में रखते हुए पूर्व से निर्माण किये जा रहे ईपिक में सुरक्षा विशेषताओं में कुछ नई विशिष्टियों का समावेश किया गया है—यथा **Ghost Image, Micro-text, QR Code, Hologram, Invisible logo**। इन सुरक्षा विशेषताओं के साथ ईपिक निर्माण भी सुरक्षा मानकों के अंतर्गत किये जाने का निदेश दिया गया है। ईपिक निर्माण की जानी वाली संस्था के पास सुरक्षा मानकों का पालन करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार संस्था का अंकेक्षण किया जायेगा, जबकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ईपिक की गुणवत्ता, होलोग्राम एवं अन्य सूची का समय-समय पर अंकेक्षण किया जायेगा। इसके लिए केन्द्रीकृत स्थल पर ईपिक निर्माण आवश्यक है।
4. मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल राज्य का उपक्रम है, से भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की सहमति से ही निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सामग्रियों यथा स्पेशल एड्रेस टैग एवं मतपत्रों का मुद्रण कराया जाता है। साथ ही मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वर्ष 1995 से मतदाता पहचान पत्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य में **PVC** ईपिक का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा इस वर्ष उक्त फर्म द्वारा लगभग पश्चिम बंगाल के लिए 80 लाख मतदाता पहचान पत्र का निर्माण किया जा चुका है।
5. राज्य में वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 में क्रमशः 28 लाख, 56 लाख एवं 45 लाख ईपिक निर्माण का कार्य किया गया। वर्तमान समय में जिलावार मुद्रण कराने पर विभिन्न जिलों की दर भिन्न-भिन्न हैं। सभी जिलों के समेकित प्रति ईपिक मुद्रण की औसत दर लगभग ₹ 20/- (बीस रुपये) मात्र है, जबकि मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता का प्रति ईपिक दर ₹ 9.50/- है, जो कि वर्तमान में राज्य में हो रहे ईपिक के दर से आधे से भी कम है। नई विशेषताओं के साथ मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा प्रति ईपिक मुद्रण एवं निर्माण कार्य कराने एवं पता मुद्रित लिफाफा में तैयार **EPIC** को रखकर जिला निर्वाचन कार्यालय तक पहुँचाने की दर यथा i) **PVC Card with Security Hologram with personalisation of the Voter information @Rs. 9.50/Card** ii) **Letter to the Voter printed on 70 gsm paper, single colour variable data printing @ Rs. 1.25/letter** and iii) **Tamper evident, ECI logo printed plastic envelop with window, suitable for postal delivery. Size approx 4.5 inches x 9 inches, thickness 100 micron @ Rs. 3.50/envelop.** अर्थात् एक **PVC-EPIC** निर्माण से लेकर वितरण तक की लागत दर कुल राशि ₹ 14.25/- (चौदह रुपये पच्चीस पैसे) मात्र है एवं **GST** दर अलग से चार्ज होगा। इस प्रकार मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता से **PVC-EPIC** का मुद्रण एवं निर्माण कराने पर सरकार को राजस्व की बचत होगी। विदित हो कि ईपिक निर्माण पर होने वाले कुल व्यय का 50-50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार संलेख की कंडिका 3 की बाध्यकारी स्थिति एवं 01.01.2022 से राज्य के सभी नये निर्वाचकों को अद्यतन विशिष्टियों के साथ ईपिक दिये जाने का कार्य दिनांक 31.03.2022 तक के लिए मेसर्स सरस्वती प्रेस, कोलकाता से कराये जाने का प्रस्ताव है। दिनांक 01.04.2022 से EPIC निर्माण का कार्य सीधे खुली निविदा के माध्यम से सक्षम एजेंसी का चयन करते हुए किया जाएगा।

6. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज़(ड) में नामांकन द्वारा बाह्य स्रोत से कार्य कराने का प्रावधान है, जिसमें अंकित है कि – “किसी आपवादिक स्थिति में विशेष रूप से चयनित संवेदक को कोई कार्य बाह्य स्रोत का दिया जाना अनिवार्य हो जाये तो विभाग के सक्षम प्राधिकारी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से ऐसा कर सकते हैं। वैसे मामलों में ब्योरेवार औचित्य, चयन द्वारा कार्य को बाह्य स्रोत को सौंपने की स्थितियाँ एवं उससे पूरा होने वाले विशेष हित या उद्देश्य जो यह पूरा करेगा, प्रस्ताव का पूर्णकीय भाग होगा।”

बिहार वित्त नियमावली के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के तहत कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए बाध्यकारी परिस्थिति में दिनांक 31.03.2022 तक के लिए, सुरक्षा मानकों का पालन किये जाने तथा सुरक्षा विशेषताओं का PVC-EPIC, Letter एवं Envelope का मुद्रण एवं निर्माण मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता के पत्रांक SPL/21/69 दिनांक 01.10.2021 उपलब्ध कराये गये दर, ₹ 14.25+GST है। PVC-EPIC, Letters एवं Envelope का मुद्रण एवं निर्माण कराने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज़(ड) के आलोक में नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। इस पर होने वाले व्यय का विकलन मांग संख्या-06 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना, उप शीर्ष-0001-मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय, विपत्र कोड संख्या-06-2015001080001 के विषयशीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय शीर्ष से किया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में उपर्युक्त भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में नवपंजीकृत निर्वाचकों को FREE OF COST EPIC DELIVERY हेतु PVC-EPIC का मुद्रण एवं निर्माण कार्य पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता-700056 को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज़(ड) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.02.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०-04 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
—सह—प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 51-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>